(9)

[जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय :– न्यू पावर हाउस, जोधपुर–342003]

क्र.–जोविविनिलि/ मु.ले.अ.(बजट एवं राजस्व)/ले.(रा.)/ प्रे. 1330 दिनांक 7/3/14

आदेश 417

अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया है कि बिलिंग ऐजेंसी द्वारा दी गई अपवाद सूचना (Exception Report) के अनुसार वांछित विद्युत विपत्रों की पूर्ण जाँच किये बिना उपखंडों द्वारा विद्युत विपत्र वितरण हेतु भिजवा दिये जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप संबंधित उपभोक्ताओं को सही विद्युत विपत्र प्राप्त नहीं होता है एवं उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस कार्य शिथिलता के कारण उपभोक्ताओं में गंभीर असंतोष एवं आक्रोश उत्पन्न होता है तथा निगम की छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। संबंधित कर्मचारियों / अधिकारियों को भी अपनी ही कार्यशैली के कारण अतिरिक्त समय तथा मानव श्रम की हानि उठानी पड़ती है।

अतः सभी राजस्व उपखण्डों में कार्यरत खाता लिपिकों एवं सहायक राजस्व अधिकारियों/ सहायक अभियंताओं को आदेश दिये जाते हैं कि बिलिंग ऐजेंसी द्वारा दी गई अपवाद सूचना (Exception Report) की (विपत्र मुद्रण से पूर्व) गहन जाँच करके त्रुटियों का निराकरण एवं आवश्यक सुधार सुनिश्चित करें तथा अपवाद सूचना (Exception Report) की भौतिक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। बेस बिलिंग प्रणाली द्वारा मुद्रित विपत्रों की इनपुट/अपवाद सूचना (Exception Report) की सहायता से पुनः जाँच करें एवं इन विपत्रों पर अपने लघु हस्ताक्षर करने के पश्चात् ही विपत्रों का वितरण सुनिश्चित करें।

वित्तीय वर्ष 2013–14 समाप्ति की ओर अग्रसर है, अतः मार्च 2014 तक की बिलिंग एवं उक्त आदेशों को क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाने हेतु निम्न अधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा अपने अधीन उपखण्डों में निम्न कार्यक्रमानुसार निरीक्षण करें:–

1. संबंधित अधिशाषी अभियंताः– प्रति कार्य दिवस एक सहायक अभियन्ता कार्यालय।
2. लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी:– प्रति सप्ताह एक सहायक अभियंता कार्यालय।

(एन.एम.चौहान)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता/संभागीय मुख्य अभियंता (जोधपुर संभाग/बीकानेर संभाग/ बाड़मेर संभाग), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
2. अधीक्षण अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम, ... को प्रेषित कर सलाह दी जाती है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों में इन आदेशों की छायाप्रति का वितरण सुनिश्चित करें।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, ( ) जोधपुर डिस्कॉम, ... को प्रेषित करते हुये लेख है कि उपर्युक्त आदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

मुख्य लेखाधिकारी (लेखा एवं राजस्व)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

Scanned with CamScanner